न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 296/2016/75 एलआर एक्ट

1. सुशील कुमार पुत्र सुमित्रा पत्नि औमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला बिश्नोई तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. रामकुमार पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई निवासी ढाणी चक 1 केएचआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई निवासी ढाणी चक 1 केएचआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.12.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी टिब्बी

प्रकरण संख्या 33/2014 अनवानी रामकुमार आदि बनाम सुशील कुमार आदि

श्री राजेन्द्र नेमीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक –18.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण व उसके भाई रामस्वरूप व प्रार्थीगण के चाचा के लड़के हनुमान सभी का संयुक्त खाता है। प्रार्थीगण अपने खेत मे आने जाने के लिए अपने ही परिवार के हनुमान की जमीन मे से आते जाते है। जो मंजूरशुदा रास्ता से महज दो बीघा दूरी पर है तथा

समस्त भूमि प्रार्थीगण के परिवार की है जिसमे उन्होने रास्ता अर्सा दराज से चालू कर रखा है। प्रार्थीगण ने रंजिश व दुर्भावना के कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि इनको नये रास्ता की आवश्यकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य को नजरअंदाज कर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 सं. 1 व 2/प्रार्थीगण अपने खेत मे आने जाने के लिए अपने ही परिवार के हनुमान की भूमि मे से आते जाते है तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने हनुमान की भूमि से होकर अपने खेत मे आने जाने के लिए रास्ता चालू कर रखा है जो जमीन से 2 फुट उंचा है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 हनुमान के खेत से चिपते मंजूरशुदा रास्ता के आगे अपने खेत आने जाने के लिए रास्ता चालू कर रखा है। चालू रास्ता मंजूरशुदा रास्ता से महज दो बीघा दूरी पर है तथा समस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के परिवार की ही है जिन्होने रास्ता अर्सा दराज से चालू कर रखा है, यह कथन अपीलांट ने अपने जवाब मे अंकित किये है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन कथनो का विवेचन किये बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृ त किया है। चक 1 केएचआर के प.न. 237/192 का कि.न. अपीलांट का एकल खातेदारी आराजी है जिसमे अपीलांट ने फसल काश्त की हुई, अपीलांट लघु कृषक है। अपीलांट के इस किला नं. 1 मे पूर्व से ही खाला एवं रास्ता स्वीकृत है जो चल रहा है यदि इसी किला नं. 1 मे रास्ता ओर स्वीकृत करने से अपीलांट की कृषि भूमि जोत योग्य नही रहेगी व अपीलांट की कृषि भूमि तीन टूकड़ो मे विभाजित हो जायेगी जिससे अपीलांट का अपूर्णीय क्षति होगी। रेस्पो0 सं. 1 व 2 को अपनी भूमि व ढाणी मे जाने के लिए हनुमान जो उनके परिवार का ही है, की भूमि से होकर अपने खेत

Web Copy - Not Official

मे आने जाने के लिए रास्ता चालू कर रखा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो सं. 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत कर चक 1 केएचआर के प.न. 237/192 के कि.न. 1 के पश्चिमी हिस्सा की ओर उतर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार टिब्बी से मौका की रिपोर्ट मंगवाई गई। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अपीलांट को रास्ता भूमि के ऐवज मे चिपती हुई भूमि भी देने के आदेश पारित किये गये है जिससे अपीलांट को भूमि के संबंध मे क्षति कारित नही हुई है तथा ना ही अपीलांट की भूमि टुकड़ो मे विभक्त हुई। अपीलांट ने बिना किसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 3 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि '' साक्ष्य अप्रार्थी के रूप मे पेश गवाह सुशीलकुमार स्वयं ने जिरह मे इस बात को स्वीकार किया है कि पत्थर लाईन 192 पर चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा प्रार्थी को ओर कोई नजदीकी रास्ता नही है तथा प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। गवाह ने जिरह मे इस बात को भी स्वीकार किया है कि हनुमान का प्रार्थीगण के साथ कोई सांझा खाता नही है। तहसीलदार टिब्बी से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण की

Web Copy - Not Official

आराजी मे प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृतशुदा रास्ता से मात्र एक बीघा दूरी पर है तथा बाकी रास्ते प्रार्थीगण की आराजी से दो व तीन बीघा दूरी पर होना बताया गया है। इस प्रकार से साक्ष्य अप्रार्थी व रिपोर्ट तहसीलदार टिब्बी से साफ जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी व रिहायशी ढाणी मे आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायलय द्वारा रेस्पो0 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागमन के लिये रास्ते की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विवेचन करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा रास्ते भूमि के बदले मे चिपती हुई भूमि अप्रार्थी/अपीलांट को दिये जाने का अंकन किया गया है। अपीलांट का यह तर्क कि अपीलांट लघु कृषक है तथा रास्ते स्वीकृत करने से अपूर्णीय क्षति हुई है, का तथ्य स्वीकार योग्य नही है क्योंकि रास्ते भूमि के बदले मे भूमि दिये जाने का आदेश पारित किया गया है जिस कारण अपीलांट को भूमि बाबत कोई क्षति नही हो रही है तथा जहां तक अन्य रास्ता चालू होने का तर्क है तो वैकल्पिक रास्ता स्वीकृतशुदा से दो बीघा दूरी पर स्थित है। इस तथ्य को अपीलांट ने भी स्वीकार किया है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पुष्टि योग्य होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़